



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 995-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०२०-३५-वे०प्र०(३०)/१९९९
प्रबन्ध निदेशक,

दिनांक 02 सितम्बर, 2020

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी /
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ /
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ /
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा /
केस्टको, कानपुर।

विषय :- यात्रा-भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(70)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश सं० 3/2019/जी-२-४१/दस-२०१९-६०१/२०११ दिनांक 05.03.2019 द्वारा यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरों को कारपोरेशन कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अस्तु इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों को सम्प्रति कारपोरेशनादेश सं० 428-वे०प्र०(३०)/पाकालि/२०११-३५-वे०प्र०(३०)/९९ दिनांक 20.05.2011 तथा उसके पश्चात् समय-समय पर निर्गत आदेशों द्वारा अनुमन्य यात्रा-भत्ता की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) यात्रा की अधिकृत श्रेणी -

(अ)- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ वायुयान/रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी :-

| क्रम सं० | उ०प्र० पा०का०लि० के कार्मिक का पे-मैट्रिक्स लेवेल | यात्रा की अधिकृत श्रेणी |
|----------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | उ०प्र० शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 (1,82,200-2,24,100) एवं उ०प्र० पा०का०लि० की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 (1,71,400-2,23,600) | वायुयान का एकजीक्यूटिव क्लास। |
| 2 | लेवेल-14 (1,44,200-2,18,200) लेवेल-13 (1,31,100-2,16,600) | वायुयान का एकोनॉमी क्लास/रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास। |
| 3 | लेवेल-12 (1,23,100-2,15,900) | रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी से अधिक की यात्रा पर वायुयान का एकोनॉमी क्लास अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास। |
| 4 | लेवेल-11 (67,700-2,08,700) लेवेल-10 (56,100-1,77,500) लेवेल-9 (53,100-1,67,800) | रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)/टूटियर अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस वातानुकूलित कुर्सीयान। |
| 5 | लेवेल-8 (47,600-1,51,100) लेवेल-7 (44,900-1,42,400) लेवेल-6 (36,800-1,16,500) | रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (थ्रीटियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर)। |
| 6 | लेवेल-6 से कम (लेवेल-5-29,800-94,300) (लेवेल-4-27,200-86,100) (लेवेल-3-22,400-71,200) (लेवेल-2-21,700-69,100) (लेवेल-1-19,900-63,200) | रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)। |

(क्रमसं:..... 2)

(ब) (१)- ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा वातानुकूलित बस द्वारा करने हेतु कारपोरेशन के वे समस्त कार्मिक अधिकृत होंगे, जो रेल की वातानुकूलित टूटियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। शेष अन्य कारपोरेशन के कार्मिक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

(ब) (२)- रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया सम्बन्धित कर्मचारी के अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

(स) विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु कारपोरेशन के कार्मिकों की वायुयान से यात्रा की श्रेणी निम्नानुसार होगी :-

| क्रम सं० | उ०प्र० पा०का०लि० के कार्मिक का पे-मैट्रिक्स लेवेल | यात्रा की अधिकृत श्रेणी |
|----------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | उ०प्र० शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 (1,82,200-2,24,100) एवं उ०प्र० पा०का०लि० की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 (1,71,400-2,23,600) | वायुयान का बिजनेस/एक्जीक्यूटिव क्लास |
| 2 | शेष अन्य सभी लेवेल | वायुयान का एकोनॉमी/सामान्य श्रेणी |

(२) आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जज) -

(१) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-३ के नियम-२३(१) के अन्तर्गत कारपोरेशन के कार्मिकों को ग्रेड-वेतन के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जज) की दरें अब पे-मैट्रिक्स लेवेल के सापेक्ष निम्नानुसार होगी :-

| क्रम सं० | उ०प्र० पा०का०लि० के कार्मिक का पे-मैट्रिक्स लेवेल | आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जज) |
|----------|--|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | लेवेल-९, लेवेल-१०, लेवेल-११, लेवेल १२, लेवेल-१३, लेवेल-१४, लेवेल-१५ एवं उ०प्र० शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-१५ | 70 पैसे प्रति किलो मीटर |
| 2 | लेवेल-५, लेवेल-६, लेवेल-७ एवं लेवेल-८ | 50 पैसे प्रति किलो मीटर |
| 3 | लेवेल-५ से कम (लेवेल-१ से ४) | 30 पैसे प्रति किलो मीटर |

(१) वायुयान से यात्रा किये जाने पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में आनुषंगिक व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(३) दैनिक भत्ता -

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-३ के नियम-२३(सी)(१) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान

(क्रमशः..... ३)

दरें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवेल के आधार पर निम्नवत् होंगी :—

| क्रम सं० | कारपोरेशन कार्मिकों का पे-मैट्रिक्स लेवेल | दैनिक भत्ते की दरें (लपये में) | | |
|----------|---|---|--|-----|
| | 'क' वर्ग के नगरों के लिये जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहां कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी — कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद | 'ख' वर्ग के नगरों के लिये जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहां कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी — मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या (फैजाबाद), फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद | साधारण दर (स्तम्भ-3 तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | लेवेल 12, लेवेल-13, लेवेल-14, लेवेल-15 एवं उ०प्र० शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 | 930 | 750 | 600 |
| 2 | लेवेल-9, लेवेल-10 एवं लेवेल-11 | 840 | 660 | 540 |
| 3 | लेवेल-7 एवं लेवेल-8 | 720 | 570 | 480 |
| 4 | लेवेल-5 एवं लेवेल-6 | 600 | 480 | 390 |
| 5 | लेवेल-5 से कम (लेवेल-1 से 4) | 390 | 300 | 240 |

कारपोरेशन हित में की गई यात्राओं के दौरान कारपोरेशन के गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस में ठहरने पर कारपोरेशन के कर्मचारी द्वारा अपने लिये अनुमन्य दैनिक भत्ते के 20 प्रतिशत अथवा सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस के कमरे/सूट का किराया, दोनों में जो कम हो, के बराबर धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर कारपोरेशन के कार्मिकों को उन्हीं शर्तों एवं दरों के अनुसार दैनिक भत्ता अनुमन्य होंगे जो उस स्थान के लिये केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि कारपोरेशन के कार्मिक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल टैरिफ पर उपलब्ध हों, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।

(क्रमशः..... 4)

उपरोक्त के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के यात्रा भत्ता विषयक आदेश सं 19030/1/
2017-ई-IV दि 13.07.2017 का प्रभावी अंश निम्नानुसार है :-

E (i). Daily Allowance on Tour

| Pay Level in Pay Matrix | Entitlement |
|-------------------------|---|
| 14 and above | Reimbursement for hotel accommodation/ guest house up to Rs 7,500/- per day, Reimbursement of AC taxi charges as per actual expenditure commensurate with official engagements for travel within the city and lump sum amount Rs 1200/- per day will be paid against food expenses. |
| 12 and 13 | Reimbursement for hotel accommodation/guest house up to Rs 4,500/- per day, Reimbursement of AC taxi charges up to 50 km per day for travel within the city and lump sum amount Rs 1000/- per day will be paid against food expenses. |
| 9 to 11 | Reimbursement for hotel accommodation/guest house up to Rs 2,250/- per day, Reimbursement of non-AC taxi charges up to Rs 338/- per day for travel within the city, and lump sum amount Rs 900/- per day will be paid against food expenses. |
| 6 to 8 | Reimbursement for hotel accommodation/guest house up to Rs 750 per day, Reimbursement of non-AC taxi charges up to Rs 225/- per day for travel within the city and lump sum amount Rs 800/- per day will be paid against food expenses. |
| 5 and below | Reimbursement for hotel accommodation/guest house up to Rs 450 per day, Reimbursement of non-AC taxi charges up to Rs 113/- per day for travel within the city and lump sum amount Rs 500/- per day will be paid against food expenses. |

(ii) Reimbursement of Hotel charges :- For levels 8 and below, the amount of claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of stay, name of dwelling, etc. Additionally, for stay in Class 'X' cities*, the ceiling for all employees up to Level 8 would be Rs. 1,000 per day, but it will only be in the form of reimbursement upon production of relevant vouchers. The ceiling for reimbursement of hotel charges will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent.

(iii) Reimbursement of Travelling charges :- Similar to Reimbursement of staying accommodation charges, for levels 8 and below, the claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of travel, vehicle number, etc. The ceiling for levels 11 and below will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. For journeys on foot, an allowance of Rs.12/- per kilometer travelled on foot shall be payable additionally. This rate will further increase by 25% whenever DA increases by 50%.

(iv) Food charges :- There will be no separate reimbursement of food bills. Instead, the lump sum amount payable will be as per Table E(i) above and, depending on the length of absence from headquarters, would be regulated as per Table (v) below. Since the concept of reimbursement has been done away with, no vouchers will be required. This methodology is in line with that followed by Indian Railways at present (with suitable enhancement of rates), i.e. Lump sum amount payable. The lump sum amount will increase by 25 percent whenever DA increases by 50 percent.

(क्रमांक:..... 5)

Page 21

(V) Timing restrictions

| Length of absence | Amount Payable |
|--|-------------------------|
| If absence from headquarters is <6 hours | 30% of Lump sum amount |
| If absence from headquarters is between 6-12 hours | 70% of Lump sum amount |
| If absence from headquarters is >12 hours | 100% of Lump sum amount |

Absence from Head Quarter will be reckoned from midnight to midnight and will be calculated on a per day basis.

(vi) In case of stay / journey on Government ships, boats etc. or journey to remote places on foot/mules etc for scientific/data collection purposes in organization like FSI, Survey of India, GSI etc., daily allowance will be paid at rate equivalent to that provided for reimbursement of food bill. However, in this case, the amount will be sanctioned irrespective of the actual expenditure incurred on this account with the approval of the Head of Department/controlling officer.

Note : DA rates for foreign travel will be regulated as prescribed by Ministry of External Affairs.

* Name of X Class cities for above purpose :-

Hyderabad, Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Mumbai, Chennai & Kolkata

उक्त दैनिक भत्ता तत्सम्बन्धी निर्धारित शर्तों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों पर उ0प्र0 राज्य, सम्बन्धित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संरक्षण आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

(4) सङ्क मील भत्ता -

कारपोरेशन के कार्मिकों को सङ्क द्वारा की गई यात्राओं के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(बी)(2) में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन देय सङ्क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी -

(I) पे-मैट्रिक्स लेवेल-11, लेवेल-12, लेवेल-13, लेवेल-14, लेवेल-15 एवं उ0प्र0 शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 के कारपोरेशन के कार्मिक :-

मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी० तक की गई सङ्क यात्राओं के लिये :-

| क्रम सं० | यात्रा की दूरी | रूपये प्रति किमी० | |
|----------|--|--------------------|-----------------|
| | | पेट्रोल चालित वाहन | डीजल चालित वाहन |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1- | प्रथम 500 किमी० तक | 10.00 | 7.50 |
| 2- | 500 किमी० से अधिक परन्तु 1200 किमी० तक | 7.00 | 5.50 |

(II) पे-मैट्रिक्स लेवेल-11, लेवेल-12, लेवेल-13, लेवेल-14, लेवेल-15 एवं उ0प्र0 शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 के अधिकारियों द्वारा मोटर कार/जीप के अतिरिक्त अन्य साधन से की गई यात्राओं तथा मैट्रिक्स लेवेल-11 से निम्न लेवेल के कारपोरेशन के कार्मिकों के लिए :-

| | |
|--|--|
| (क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सङ्क यात्राओं के लिये | रु० 5.00 प्रति किमी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रूपये 1000/- से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। |
|--|--|

(क्रमसं:..... 6)

| | |
|---|--|
| (ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये। | रु० 2.50/- प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 500/- से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी। |
|---|--|

- (III) अल्प दूरी के यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिये वास्तविक दूरी के आधार पर कारपोरेशन के कार्मिकों को रु० 10/- प्रति कि०मी० की दर से सड़क मील भत्ता देय होगा।

(5) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता –

कारपोरेशन के कार्मिकों को जनहित में किये गये उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उनके परिवार के लिये स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्नानुसार होगी :–

(क)- घरेलू सामान की ढुलाई -

कारपोरेशन के कार्मिकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(1) (III) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अब मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :–

(I) यात्रा यदि परिवार सहित की गई हो :-

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल के आधार पर घरेलू सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था होगी –

| क्रम सं० | कारपोरेशन कार्मिकों का पे-मैट्रिक्स लेवल | व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अनुमन्य अधिकतम सीमा |
|----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | लेवल-9, लेवल-10, लेवल-11, लेवल 12, लेवल-13, लेवल-14, लेवल-15 एवं उ०प्र० शासन की पे-मैट्रिक्स लेवल-15 | 6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन |
| 2 | लेवल-7 एवं लेवल-8 | 3000 कि०ग्रा० |
| 3 | लेवल-5 एवं लेवल-6 | 2500 कि०ग्रा० |
| 4 | लेवल-5 से कम (लेवल-1 से 4) | 1250 कि०ग्रा० |

(II) यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो :-

यदि स्थानान्तरण के बाद कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा स्वयं अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित भार का 2/3 भाग अधिकतम देय होगा।

(ख)- एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट) / पैकिंग भत्ता

कारपोरेशन के कार्मिक का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर होगी :–

(I)- जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट) के रूप में सम्बन्धित कारपोरेशन के कार्मिक को मूल वेतन के 40 प्रतिशत के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

(क्रमशः..... 7)

(11)- जनहित में एक जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :—

| क्रम सं० | पे-मैट्रिक्स लेवल | पैकिंग भत्ते की दर (रुपये में) |
|----------|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1- | लेवेल-6, लेवेल-7, लेवेल-8, लेवेल-9, लेवेल-10, लेवेल-11, लेवेल 12, लेवेल-13, लेवेल-14, लेवेल-15 एवं उ0प्र0 शासन की पे-मैट्रिक्स लेवेल-15 | रु० 3000/- |
| 2- | लेवेल-6 से निम्न लेवेल (लेवेल 1 से 5) | रु० 1500/- |


3. यात्रा भत्ता की उपरोक्त पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

सं० 995 -(1)-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पा०का०लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासा० एवं सम्प्रेक्षा०) / (वित्त) / उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन - लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) / लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दि० 14.08.2020 को सम्पन्न 159(70)वीं बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुपालन में।
17. अधिशासी अभियन्ता (वे०ब०), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से


(राक्षेश भद्रा)

अनु सचिव (का०वि०नी०)